



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 675]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 16, 2014/अग्रहायण 25, 1936

No. 675]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 16, 2014/AGRAHAYANA 25, 1936

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2014

सा.का.नि. 899 (अ).— केंद्रीय सरकार, मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मेट्रो रेल (वहन और टिकट) नियम, 2014 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषाएं.**— (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —
(क) "अधिनियम" से मेट्रो रेल रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) अभिप्रेत है;
(ख) "प्राधिकृत" से मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा प्राधिकृत अभिप्रेत है;
(ग) "यात्री" से विधिमान्य टिकट या पास के साथ मेट्रो रेल में यात्रा कर रहा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
(2) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम या मेट्रो रेल साधारण नियम, 2013 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उक्त अधिनियम या नियमों में क्रमशः उनके हैं।

3. **माल या सामान का वहन.**— कोई भी व्यक्ति, मेट्रो रेल प्रशासन के पूर्व अनुमोदन के सिवाय मेट्रो रेल में यात्रा करते समय, अपनी निजी माल—असबाब वाले यात्री से भिन्न किसी ऐसे माल का वहन नहीं करेगा, जो आकार में 60 सेन्टी मीटर X 45 सेन्टी मीटर X 25 सेन्टी मीटर ओर 15 किलोग्राम कुल भार से अधिक हो।

4. **खतरनाक और घृणोत्पादक सामग्री ले जाने का प्रतिषेध.**— (1) कोई भी व्यक्ति किसी मेट्रो रेल में निम्नलिखित खतरनाक सामग्रियों को नहीं ले जाएगा या किसी को नहीं ले जाने देगा, अर्थात्:—

- (क) विस्फोटक पदार्थ, जिनमें विस्फोट या आग लगने या दोनों का जोखिम है;
- (ख) संपीड़ित, द्रवीकृत या दबाव के अधीन घुली हुई गैसें;
- (ग) पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रव;
- (घ) ज्वलनशील ठोस;
- (ङ) ऑक्सीकरणीय पदार्थ;
- (च) जहरीले (विषैले) पदार्थ;
- (छ) अम्ल और अन्य संक्षारक;
- (ज) रेडियोएक्टिव पदार्थ;
- (झ) शस्त्र, आयुध और गोला—बारूद;
- (ञ) कोई रासायनिक, जैविक, रेडियोलोजिकल, नाभिकीय और वर्धित पारंपरिक आयुध जिससे यात्रियों या संपत्ति को खतरा हो।

(2) कोई भी व्यक्ति मेट्रो रेल पर निम्नलिखित घृणोत्पादक सामग्री नहीं ले जाएगा या किसी को नहीं ले जाने देगा, अर्थात्:—

- (क) मानव या पशु का शुष्कित या संकदित या सड़ा हुआ रक्त;
- (ख) शव;
- (ग) मृत पशुओं या मृत पक्षियों के शव;
- (घ) हड्डियां, विरंजित और साफ की गई हड्डियों को छोड़कर;
- (ङ) मानव कंकाल;
- (च) मानव शरीर के अंग;
- (छ) वहनीय रेडियो युक्तियां, जिनसे रेडियो संचार नेटवर्क और यातायात नियंत्रण संकेतन नेटवर्क आधारित संचार को जोखिम हो।

(3) कोई भी व्यक्ति मेट्रो रेल पर किसी जीवित पशु या पक्षी को नहीं ले जाएगा या किसी को नहीं ले जाने देगा: परंतु, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा प्रयोजन के लिए अपने साथ सूंघने वाला कुत्ता ले जा सकेगा।

5. शस्त्र, आयुध आदि ले जा सकने वाले व्यक्ति.—इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, संघ के सशस्त्र बलों, राज्य पुलिस, परा-सैन्य बलों, मेट्रो रेल प्रशासन में लगी हुई निजी सुरक्षा एजेंसियों के सशस्त्र गार्ड, राष्ट्रीय कैडेट कोर और केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र के वर्दीधारी बलों के सदस्य ड्यूटी के दौरान मेट्रो रेल में यात्रा करते समय अपने प्राधिकृत शस्त्र, आयुध और गोला-बारूद मेट्रो रेल प्रशासन को पहचान का सबूत प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन वहन कर सकेंगे।

6. संक्रामक और सांसर्गिक के रूप में घोषित रोग.—मानसिक रोग या किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित रोग भी हैं, से पीड़ित कोई व्यक्ति मेट्रो रेल में यात्रा नहीं करेगा, अर्थात् :—

- (क) सेरिबरा-स्पाइनल मेनिंजाइटिस;
- (ख) चिकन-पाँक्स;
- (ग) हैजा;
- (घ) डिप्थीरिया (रोहिणी);
- (ङ) खसरा;
- (च) कनपेडा;
- (छ) स्कारलेट ज्वर;
- (ज) टाइफाइड ज्वर;
- (झ) कुकुर खांसी;
- (ञ) ट्यूबरकलोसिस।

परन्तु क्लोज्ड (असंक्रामक) कुछ रोगी किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से रोग की असंक्रामक प्रमाणित करने वाले प्रमाणपत्र के साथ मेट्रो रेल में यात्रा कर सकेगा।

[फा. सं. के-14011/17/2013-एमआरटीएस-2]

सी. के. खेतान, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2014

G.S.R. 899(E).—In exercise of the powers conferred by section 32 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Metro Railways (Carriage and Ticket) Rules, 2014

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002);
- (b) "Authorised" means authorised by the metro railway administration;
- (c) "Passenger" means a person travelling on the metro railway with a valid ticket or pass.

(2) All other words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act or the Metro Railways General Rules, 2013 shall have the same meanings as respectively assigned to them in that Act or rules.

3. Carriage of goods or luggage.—No person shall, while travelling in metro railway, carry with him any goods other than one baggage containing personal belongings not exceeding 60 centimetre X 45 centimetre X 25 centimetre in size and 15 kilogram in gross weight, except with the prior approval of the metro railway administration.

4. Prohibition against carriage of dangerous and offensive material.—(1) No person shall take or cause to be taken on the metro railway any of the following dangerous materials, namely:-

- (a) explosive substances which possess risk of explosion or fire or both;
- (b) gases compressed, liquefied or dissolved under pressure;
- (c) petroleum and other inflammable liquids;
- (d) inflammable solids;
- (e) oxidizing substances;
- (f) poisonous (toxic) substances;
- (g) acids and other corrosives;
- (h) radioactive substances;
- (i) weapons, arms and ammunitions.
- (j) any Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Enhanced Conventional Weapons which possess risk to passengers or property.

(2) No person shall take or cause to be taken on the metro railway any of the following offensive materials, namely:-

- (a) blood dried or coagulated or decomposed, whether human or animal ;
- (b) corpses;
- (c) carcasses of dead animals or of dead birds;
- (d) bones excluding bleached and cleaned bones;
- (e) human skeleton;
- (f) parts of human body;
- (g) portable radio devices which possess risk to radio communication network and communication based traffic control signalling network ;

(3) No person shall take or cause to be taken on the metro railway live animals or birds:

Provided that a security person on duty may take along sniffer dog for the purpose of security.

5. Persons who may carry weapons, arms, etc.—Notwithstanding anything contained in these rules, the members of the Armed Forces of the Union, the State Police, the Para-Military Forces, armed guards of private security agencies engaged by the metro railway administration, the National Cadet Corps, and other uniformed forces of the Central Government, State Governments or the Union Territory may, while travelling on the metro railway in the course of their duty, carry their authorised weapons, arms and ammunition, subject to the proof of identification being furnished to the metro railway administration.

6. Diseases declared to be infectious and contagious.—No person who is mentally disturbed or is suffering from any infectious or contagious disease including the following, shall travel in the metro railway, namely:—

- (a) cerebro-spinal meningitis;
- (b) chicken-pox;
- (c) cholera ;
- (d) diphtheria;
- (e) measles;
- (f) mumps;
- (g) scarlet fever;
- (h) typhus fever;
- (i) typhoid fever;
- (j) whooping cough;
- (k) tuberculosis.

Provided that a closed (non-infective) leprosy patient carrying a certificate from a Registered Medical Practitioner certifying him to be non-infective may travel in the metro railway.

[F. No. K-14011/17/2013-MRTS-II]

C. K. KHAITAN, Jt. Secy.